न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 96/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2021/217
दायर दिनांक :– 30.11.2021 **निर्णय दिनांक :–** 20.03.2025

1. नेनकंवर उर्फ सायर कंवर पत्नी दानसिंह जाति राजपूत नि. भोजनगर तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भोमसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
2. भंवरसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
3. नखतकंवर पुत्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुमेरकंवर पुत्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
5. सोहनराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी प्लाट नं. 101 महादेवनगर सांगरिया जोधपुर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी तथा अन्य सहखातेदारान की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 30/1 रकबा 23.3099 हैक्टेयर सरहद मौजा भोजनगर पटवार क्षेत्र शेखासर में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 25/96 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 13/48 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 13/144 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 29/576 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 29/576 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 5/18 हिस्सा बंट में आता है। इसी अनुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 काबिज है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के विरूद्व जारी करवाने का यह प्रार्थना पत्र पेश है।

20/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री करणीसिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम भोजनगर के खसरा नम्बर 30/1 रकबा 23.3099 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के विभाजन का वाद न्यायालय हाजा में पेश कर रखा है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की रहते प्रत्येक खातेदार का इंच-इंच पर कब्जा है जिसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय की जा सकेगा। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम भोजनगर के खसरा नम्बर 30/1 रकबा 23.3099 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/3/25

(सुखराम सिणडेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)